संख्या- 08/2015-वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008टी0सी0-1

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव,/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 03 मार्च, 2015

विषय:- राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में की गयी व्यवस्थानुसार ऐसे राज्य कर्मचारी जिन्हें सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बावजूद 03 वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य ग्रेड वेतन अनुमन्य नहीं हुआ है उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

"ऐसे पदधारक जिन्हें ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के कारण सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के बावजूद सीधी भर्ती के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से तीसरे वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य ग्रेड वेतन वास्तविक पदोन्नति/समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के बावजूद नहीं मिल पाया है उन्हें शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक-2अ पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-6 में उपलब्ध सीधी भर्ती के पद के ग्रेड वेतन से तीसरा उच्च ग्रेड वेतन सीधी भर्ती के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से स्वीकृत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पद का आशय उस पद से है जिस पर सम्बन्धित कार्मिक सीधी भर्ती के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा नियुक्त हुआ हो।"

2- शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या - 08/2015-वे0आ0-2-190(1)/दस-62(एम)/2008 टी0सी0-1, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एवं ॥ तथा आडिट-। एवं ॥ उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(4) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(5) निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क, उ0प्र0।
(6) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(9) इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, एन0आई0सी0 को वित्त विभाग के वेब साइट पर डालने हेतु।
(11) गार्डबुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।